# OFFICE OF CIRCLE OFFICER SHIKARIPARA

## FORM I

Form of notice under Section 3 of the
Jharkhand Public land Encroachment Act, 1956
JPLE Case No .21/19-20....

प्र०- 1033/20
20/08/20

To,

Shri/Shrimati कन्हाई मल्लिक son/wife/daughter of पिता-स्व० महादेव मल्लिक resident of Village चेन्नुवाडीह Thana No 13 P.S शिकारीपाडा District दुमका

Whereas you have made or are responsible for the continuance of encroachment upon Khata No 41 Plot No 01 Area 0.14 of Village चेन्नुवाडीह Thana No 13 , P.S शिकारीपाडा District दुमका which is public land as defined is Sub-section (3) of Section 2 of Jharkhand Public Land Encroachment Act, 1956 (Jharkhand Act XV of 1956).

You are hereby called upon to appear before me on 19/08/20 at 11-am and show cause why such encroachment shall not be removed.

Take notice that if you fail to appear at the time and place mentioned above, the matter will be decided in your absence.

Date 04/08/20.

04/08/20
Collector
(under the Act.)

एक प्रति पाया
कान्हाई मल्लिक

10-8-200

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश के क्रम में की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी एवं तिथि |
|---|---|---|
| 19.08.2020 | अभिलेख उपस्थापित। नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अतिक्रमणकारी उपस्थित। अतिक्रमणकारी उपस्थिति आवेदन पत्र के साथ लिखित सूचना दी गई है कि मौजा-धेनुवाडीह के अन्तर्गत लगभग 7 (सात) कट्ठा जमीन पर मकई लगाया था और अभी इसमें खेती नहीं करेंगें। अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एंव प्रभारी अंचल निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि अतिक्रमित किये गये गोचर जमीन पर लगाया गया फसल पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटाया है या नहीं, अद्यतन जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 10.09.20 को उपस्थापित करें।<br><br>लेखापित<br>[signature] 19/08/20<br>अं0अ0<br><br>[signature] 19/8/20<br>अंचल अधिकारी,<br>शिकारीपाड़ा। | |

| आदेश की क्रम संख्या की तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश के क्रम में की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी एवं तिथि |
|---|---|---|
| 10.09.2020 | अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को इस कार्यालय के ज्ञापांक 703/रा0 दिनांक 19.08.2020 द्वारा निदेश दिया गया था कि अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमित किये गये गोचर जमीन पर लगाया गया फसल हटा लिया गया है या नहीं से संबंधित अद्यतन जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराऐगें। किन्तु आज तक अद्यतन जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि 2 दिनों के अन्दर अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करें। साथ ही विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण भी समर्पित करेगें। अभिलेख दिनांक 24.09.20 को उपस्थापित करें।<br><br>लेखापित<br>अं0अ0<br><br>10/09/20<br>अंचल अधिकारी,<br>शिकारीपाड़ा। | |

| आदेश की क्रम संख्या की तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश के क्रम में की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी एवं तिथि |
|---|---|---|
| 12.09.2020 | अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा- धेनुवाडीह, पंचायत- गन्द्रकपुर में जाकर राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक द्वारा स्थलीय अद्यतन जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमित किए गए गोचर जमीन पर लगाया गया फसल को हटा लिया गया है एंव उक्त गोचर जमीन पर दोबारा कृषि कार्य नहीं करने की बात कही गई है।<br>राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल जाँच कर प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया।<br>अतः राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित<br>12/09/20<br>अं0अ0<br><br>12/09/20<br>अंचल अधिकारी,<br>शिकारीपाड़ा। | |